RIGHT TO INFORMATION

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: BENCH AT INDORE

FORM –'D'

REJECTION ORDER

(See Rule 4(2))

No.RTIA/JR(M)-HCIND/ 416 **Indore, Dated 26.02.2020**

प्रेषक :

ज्वाईंट रजिस्ट्रार,
राज्य लोक सूचना अधिकारी,
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय,
खण्डपीठ, इन्दौर

प्रति,

श्री रवि कुमार पोत्दार
पिता स्व. श्री डॉ जयनारायण पोत्दार
पता–72/74, सुयश विहार
भमोरी दुबे, इन्दौर (म.प्र.)
मोबाईल नंबर–9926631707

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचनाओं को प्रदान के संबंध में अधिसूचना को संबोधित करने के लिए कृपया आपका आवेदन जो कि हमारे आवक क्रमांक 118 दिनांक 21/01/2020 के माध्यम से प्राप्त हुआ होकर आई.डी. संख्या 02/2020–2021 दिनांक 21/01/2020 में पंजीकृत है देखें।

आपके द्वारा संदर्भित आवेदन पत्र अंतर्गत निम्नलिखित जानकारी चाही गयी है:–

"आवेदक ने दिनांक 17.01.2020 माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इन्दौर खण्डपीठ के प्रेजेन्टेशन सेक्शन में अपने स्वयं के प्रकरण में दो रीर्टन आरग्यूमेंट प्रस्तुत करने पर लिपिक ने आवेदक को उसके आधार कार्ड की छायाप्रति जिसे उसके द्वारा स्वअनुप्रमाणित कर दिये जाने पर ही रिर्टन आरग्यूमेंट लेने का कहा। आवेदक ने लिपिक को मूल आधार कार्ड दिखाकर वेरीफिकेशन कर दस्तावेजों को लिये जाने का निवेदन किया। लिपिक ने कहॉ जब तक आईडी को स्वअनुप्रमाणित नहीं कर संलग्न नहीं करेगे तब तक रिकार्ड पर रीर्टन आरग्यूमें नहीं लिया जाएगा। आवेदक ने स्वयं आधार कार्ड की छायाप्रति कर उसे स्वअनुप्रमाणित किया तब लिपिक ने प्रथम रीर्टन आरग्यूमेंट प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने दूसरे प्रकरण के रिर्टन आरग्यूमेंट में भी आईडी संलग्न करने का कहा तथा उसकी प्रति न देने पर दस्तावेज लेने से इंकार किया। जिसकी वजह से उसे पुनः आईडी कार्ड की स्वअनुप्रमाणित प्रति दूसरे दस्तावेज के साथ देनी पडी। आवेदक विगत लगभग 15 वर्षो से उच्च न्यायालय में याचिका व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा है उसे कभी भी इस प्रकार का कोई आईडी कार्ड इसी लिपिक द्वारा नहीं मांगी गयी। आवेदक को चूकि दस्तावेज रिकार्ड पर आवश्यक रूप से देने थे इस कारण मजबूरी में आधार कार्ड की छायाप्रति को स्वअनुप्रमाणित कर दी गई। लिपिक द्वारा डाक्यूमेंट प्राप्त करने की पावती दी गई लेकिन आवेदक की आईडी जिसे स्वअनुप्रमाणित किया उसकी प्राप्ती निवेदन करने पर भी नहीं दी गई। आवेदक के अनुसार उक्त आईडी कार्ड जिसे स्वअनुप्रमाणित किया है वह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसका दूरूपयोग कही भी मोबाईल सीम लेने हेतु या अन्य प्रकार से किया जा सकता है यदि इस आई डी का दुरूपयोग होता है तो आवेदक के पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं होगा कि उक्त आईडी उन्होंने माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की थी। नियमानुसार जब भी कोई विभाग कोई भी दस्तावेज प्राप्त करता है तो उसकी उसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति पावती दी जाती आवश्यक है। आवेदक ने माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के रूल्स 2008 का अवलोकन किया उसमें इस प्रकार की प्रक्रिया का कोई भी नियम नहीं है कि प्रत्येक डाक्यूमेंट के साथ आईडी संलग्न किया जाना जरूरी हैं आवेदक एक सामाजिक कार्यकर्ता है उसे जनहित में उक्त नियम की जानकारी चाहिये इस कारण वह निम्न दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि की मांग कर रहा है–

1. किसी प्रकरण में जब भी एप्लीकेशन, रिर्टन आरग्यूमेंट या अन्य दस्तावेज प्रेजेन्टेशन सेक्शन में प्रस्तुत करना होता है तो उसके साथ उस व्यक्ति की आईडी को स्वअनुप्रमाणित कर संलग्न करने के संबंध में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्र, ज्ञापन, पत्र आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि।

निरन्तर...2 पर

26.02.2020

2. **यदि एक व्यक्ति द्वारा एक ही समय में 10 स्वयं के अलग अलग प्रकरण में दस्तावेज प्रस्तुत करने होते है तो प्रत्येक प्रकरण के डाक्यूमेंट के साथ आईडी की स्वअनुप्रमाणित प्रतिलिपि देना आवश्यक है इस संबंध में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्र, ज्ञापन, आदेश एवं पत्र जो भी जारी किये गये है उनकी प्रमाणित प्रतिलिपि।**

3. **यदि इस संबंध में कोई मौखिक निर्देश दिये गये हो तो उस मौखिक निर्देश देने वाले लोकसेवक का नाम व पद की जानकारी तथा उसके मौखिक निर्देश का नियमानुसार जल्दी से जल्दी लिखित में लिया गया तो उसके संबंध में बनाई गई नोटशीट की प्रमाणित प्रतिलिपि।**

4. **यदि उक्त निर्देश माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के रूल्स 2008 में है तो वह नियम की जानकारी।**

5. **इस संबंध में अधिवक्ताओं को भी दस्तावेज के साथ आईडी की स्वअनुप्रमाणित प्रति दिये जाने का प्रावधान है तो उसकी भी प्रमाणित प्रतिलिपि।**

6. **उक्त के संबंध में यदि अधिवक्ता के कार्यालय में कार्यरत उनके असिस्टेंट (जो वकील नहीं है) उनसे भी आईडी की स्वअनुप्रमाणित से छुट होने संबंधी नियम, परिपत्र, ज्ञापन, पत्र इत्याकी की भी प्रमाणित प्रतिलिपि।"**

आवेदक श्री रवि कुमार पोत्दार के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, म.प्र.उच्च न्यायालय., खण्डपीठ इन्दौर को संबोधित करते हुए एक आवेदन आवक नंबर 359 दिनांक 20/02/2020 प्राप्त हुआ जिसमें श्री रवि कुमार पोत्दार द्वारा वर्णित किया गया कि वे उनके द्वारा चाही गई जानकारी पर अब कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। क्योंकि उन्होनें विभाग के प्रमुख इंचार्ज एवं अनुभाग अधिकारी से चर्चा की जिन्होने उन्हे हाईकोर्ट रूल्स का अवलोकन करवाया। जिससे उन्हे (आवेदक को) वांछित जानकारी प्राप्त हो गई हैं। जानकारी मिलने पर श्री रवि कुमार पोत्दार द्वारा अपने स्वयं के आर.टी.आई. आवेदन जो कि लोक सूचना अधिकारी के **आई.डी.क्र.02/2020–21 दिनांक 21/01/2020** को नस्तीबध्द करने का अनुरोध/निवेदन किया गया हैं।

अतः आवेदन आवक नंबर 359 दिनांक 20/02/2020 में श्री रवि कुमार पोत्दार के निवेदन को स्वीकार करते हुए उनके आर.टी.आई **आई.डी.क्र.02/2020–21 दिनांक 21/01/2020** को अद्योहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा आज दिनांक को Withdraw करने की अनुमति प्रदान करते हुए खारीज/नस्तीबध्द किया जाता हैं साथ ही मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (सूचना का अधिकार) 2006 के नियम 3 (2) के अनुसार हर आवेदन केवल सूचना के एक विशेष मद के लिए किया जाएगा जबकि आपके द्वारा एक से अधिक कई सूचनाए मांगी गई हैं इसलिये भी आपके आवेदन को खारीज किया जाता हैं।

सूचना अधिनियम 2005 के अधिकार के अनुभाग 19 के अनुसार आप इस आदेश के 30 दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी (प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खण्डपीठ) को अपील कर सकते हैं।

(राजेश कुमार शर्मा)
लोक सूचना अधिकारी सह ज्वाईंट रजिस्ट्रार (एम), 26.02.20
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर